

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No. _____/OF 2015

SC-6
1911

Nitu Singh

.... Petitioner

Versus

The State of Bihar and others.

... Respondents

Sub: Selection, Non-Gazetted Matter

INDEX

Sl. No.	Description of Papers	Page No.
1.	Synopsis	
2.	Civil Writ Application	.. 1 to 10
3.	Annexure 1 : Copy of Death Certificate of Petitioner's Husband.	11
4.	Annexure 2 : Copy of Merit List dated 31/10/2014.....	12
5.	Annexure 3 : Copy of Memorandum of partition dated 10/6/2007	13-16
6.	Annexure 4 : Copy of Application dated 24/12/2014 ..	17-20
7.	<u>VAKALATNAMA</u>	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No. _____/OF 2015

Nitu Singh

.... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar and others

....**Respondents**

SYNOPSIS

That the petitioner, by this Writ application, seeks issuance of appropriate Writ and/or order directing the Respondents to complete the Selection Process and make the appointment of Aanganbari Sevika for Aanganbari Kendra No. 79 on merit and in accordance with law without any delay. The petitioner further pray that the candidature of the petitioner be considered for appointment in accordance with the Rules/Guide lines for the Selection.

16/6/2007: Copy of Memorandum of Partition between Late

Baban Kumar Singh (husband of the petitioner) and his elder brother Basant Kumar Singh.

(Annexure 3)

20/8/2011: Petitioner's husband died in a road accident leaving

behind one son and a daughter.

(Annexure 1)

31/10/2014: Merit list dated 31/10/2014 with 67.28 marks/

points which was the highest amongst all candidates for selection.

(Annexure 2)

(ii)

24/12/2014: petitioner filed an application before the

Respondent No.2 and prayed that petitioner may be considered for being appointed as Aanganadi Sevika .

(Annexure 4)

Finding no alternative efficacious remedy available to her.

Hence this Writ Petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No. _____/OF 2015

In the matter of an application
under Article 226 of the
Constitution of India

And

In the matter of

Nitu Singh Wife of Late Baban Kumar Singh,

Resident of Village and P.O Aurahi Ekparha, P.S. Gamharia,

District Madhepura

.... **Petitioner**

Versus

1. The State of Bihar
2. The Collector, Madhepura
3. The Project Officer, Madhepura

2.

4. The Bal Vikas Pariyojna Padadhikari (C.D.P.O) Madhepura

5. The Selection Committee for Selection of Anganbari Sevika.

..... Respondents

To,

The Hon'ble Mr. L.Narasimha Reddy, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and His Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The Humble Petition on behalf of the petitioner aforesaid

Most Respectfully Sheweth:-

1. That the petitioner, by this Writ application, seeks issuance of appropriate Writ and/or order directing the Respondents to complete the Selection Process and make the appointment of Aanganbari Sevika for Aanganbari Kendra No. 79 on merit and in accordance with law without any delay. The petitioner further pray that the candidature of the petitioner be considered for appointment in accordance with the Rules/Guide lines for the Selection.

3.

2. That the Petitioner, in this Writ application, raises the following questions for determination

- I) Whether the Selection Committee (Respondent No.5) is obliged to make Selection on merit and in accordance with the Rules/Guide lines for selection of Aanganbari Sevika ?
- II) Whether Respondent No.5 is obliged to make selection strictly on the basis of merit list as provided in the Guide lines ?
- III) Whether the petitioner, who fulfils all the criteria for selection and has got highest marks/points (67.28) amongst all the candidates is entitled to be selected as Aanganbadi Sevika in Ward No.3 ?
- IV) Whether the Respondents are obliged to complete the selection process and make the appointment of Aanganbadi Sevika within a reasonable time ?
- V) Whether even after partition between the late husband of

4.

the petitioner (during his life time) with his elder brother, who is a school teacher, the petitioner will be disqualified from selection ?

VI) Whether the action of Respondents in not completing the selection process within a reasonable time or otherwise is arbitrary, illegal, malafide and against the principles of natural justice ?

3. That the petitioner is a widow and is resident of Ward No. 3 of Aurahi Ekparha village within Gamharia Police Station in the district of Madhepura. Her husband died in a road accident on 20/8/2011 leaving behind one son (13 years) and a daughter (11 years).

A Copy of Death Certificate of petitioner's husband is enclosed as Annexure 1 hereof.

4. That the petitioner, along with others, applied for selection of Aanganbadi Sevika for the mini Aanganbadi Centre No. 79 of Aurahi Ekparaha Ward No.3 and thereafter the selection process was held as per Rule 8 of the Rule/Guide lines.

5.

5. That out of the six candidates, the petitioner was placed at number one in the merit list dated 31/10/2014 with 67.28 marks/points which was the highest amongst all candidates for selection.

A Copy of the Merit list dated 31/10/2014 showing the petitioner at the top is enclosed as Annexure 2 hereof.

6. That it would be relevant to state that there was a partition in between Late Baban Kumar Singh (the husband of the petitioner) and his elder brother Basant Kumar Singh in the year 2007 (10/6/2007) and since then they are completely separate by metes and bound and in mess and residence as well. Even prior to 2007, both the brother had separated in all respect orally.

A Copy of the Memorandum of Partition dated 10/6/2007 is enclosed as Annexure 3 hereof.

6.

7. That ~~the~~ since the petitioner had secured highest marks/ point in the selection process in accordance with the Rules/guide line No. 8 of the Rules/ Guide lines and was placed at the top of the merit list, she became eligible for appointment as Aanganbadi Sevika as per Rule/Guide lines 8 (13)(14) of the Rules/ Guide lines and the same ought to have been declared within 8 days of the "Aam Sabha" as per Rule/Guide line 8(15) which has not been done so far.

8. That on 11/11/2014 a Aam Sabha was held in which all the villagers signed the resolution in which it was decided to appoint the petitioner as the Aanganbadi Sevika for Centre No. 79 of Ward No. 3 of Ekparaha Village .A Copy of Signed Statement will be produced in Court if so required.

9. That on 20/12/2014 the "Aam Sabha" was held for making selection but as Respondent No.4 left the "Sabha" suddenly without taking a decision saying that since the elder brother of petitioner's husband was a teacher, the petitioner will not be selected, upon which all the members of the Aam Sabha objected and the meeting was abruptly concluded without taking any decision. Since thereafter, no Aam Sabha has been held for the purpose.

7.

10. That as already stated in Paragraph 6 above, the petitioner had long ago (in the 2007) completely separated from the family of her husband's elder brother by metes and bound, the petitioner could not have been debarred from being selected as Aanganbadi Sevika on that account.

11. That the petitioner thereafter on 24/12/2014 filed an application before the Respondent No.2 and prayed that petitioner may be considered for being appointed as Aanganbadi Sevika in view of the facts and circumstances mentioned therein. But so far nothing has been done in the matter.

A Copy of the application dated 24/12/2014 to Respondent No.2 is enclosed as Annexure 4 hereof.

12. That inspite of the aforesaid facts and circumstances the Respondents are not taking any decision in the matter so far causing irreparable injury to the petitioner.

8.

13. That thus, the action/inaction of Respondents are highly arbitrary, illegal, malafide, contrary to the Rules/ Guide lines and are against the principles of natural justice.

14. That the petitioner is a Citizen of India.

15. That finding no alternative efficacious remedy available to her, she is moving this Hon'ble Court for the first time in Writ jurisdiction in this mat ter.

It is therefore prayed that Your Lordships may graciously be pleased to issue appropriate Writ and/or order asking the Respondents to show cause as to ~~the~~ why appropriate decision in accordance with law/Rules/Guide lines be not taken to consider the petitioner for appointment and/or appoint the petitioner as Aanganbadi Sevika , And after hearing the parties be further pleased to allow the application and direct the Respondents to consider and/or appoint the petitioner as Aanganbadi Sevika

9.

And/or

Pass such other order or orders as may
deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

10.

AFFIDAVIT

I, Nitu Singh aged about 32 years Wife of Late Baban Kumar Singh, Resident of Village and P.O Aurahi Ekparha, P.S. Gamharia, District Madhepura, do hereby solemnly affirm and State as follows:-

1. That I am petitioner in this case and am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of this application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same

3. That Statements made in Paragraph Nos. 4² 7¹⁰ are true to my Knowledge and those made in Paragraph Nos. 3, 5, 6 ²

11 are true to my information derived from the records of the case and rest are by way of submission to this Hon'ble Court.

4. That the annexures are photo and typed copy of its originals.

Annex - 1

सांख्यिकी एवं प्रशासनिक विभाग, बिहार

मृत्यु प्रमाण-पत्र

धर्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९६९ की ^{अनु. २२} _{कlaus १०} के अन्तर्गत विगत

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मृत मृत्यु अभिलेख से प्राप्त की गई है,

जो बिहार राज्य के जिला- मधेपुरा जिले के प्रखण्ड- गम्हरिया

तहसील (अंचल/प्रखण्ड) के पोस्ट औराही एकपरहा क्षेत्र सम्बन्धी रजिस्टर में है।

नाम बबन कुमार सिंह

लिंग पुरुष

मृत्यु की तारीख २०/०८/२०११

मृत्यु का स्थान टीका

पिता/प्रति का नाम शुभ कामवहादूर सिंह

स्थायी पता ग्राम-पोस्ट औराही एकपरहा थाना- गम्हरिया
जिला- मधेपुरा

रजिस्ट्रीकरण संख्या ३५/२०११

रजिस्ट्रीकरण की तारीख २२/०८/२०११

तारीख २५/०८/२०११

१४/१०/२०११
२५/०८/२०११
दिगत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर
पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत- औराही एकपरहा
प्रखण्ड- गम्हरिया (मधेपुरा)

प्रशुद्ध-गणकदरिया

कथालय बाल विकास परियोजनागणकदरिया मधुपुर
आणववादी सेविका/सहायिका वराल भेषा सुविधा:-

(अतिरिक्त/किर्ता)

गणक ववाववा:-


415 70 03
Annexure - 2
12

श्री. श्री. श्री. 158112

क0	अववादी का गणक	परि/ससुर का गणक	वला	गणक	जलन सतिथ	सेविका कववाक	सेविका ववाववाक वूलक	सेविका ववाववाक वरिशत	इंटरके सतिथ अंक-7	ववाववाक के सतिथ अंक-7	वेदक 1 अंक					15	15
											विषया/ वरिववाववा	विषय गणक	सहायिका गणक	कुल गणक	अववाववा		
1	बाल सतिथ	बाल वरिववा सतिथ	आववाववा	ववाववा	15.01.83		373 700	53.28	7		7					67.28	
2	बाल सतिथ	बाल सतिथ			01.01.91		402 700	58.1	7							65.1	
3	बाल सतिथ	बाल सतिथ			11.04.78		476 800	59.5	7							66.5	
4	बाल सतिथ	बाल सतिथ			15.11.78		477 900	53	7							60	
5	बाल सतिथ	बाल सतिथ			07.07.90		405 500	41.6	7							48.6	
5	बाल सतिथ	बाल सतिथ			20.02.79		605 900	67.22								67.22	

कथालय बाल विकास परियोजना कथालय गणकदरिया, मधुपुर


कथालय बाल विकास परियोजना कथालय गणकदरिया, मधुपुर



13

1. नाम मोकीर : श्री बसंत कुमार सिंह पिता स्व० बमबहादुर सिंह फरीक औपल 2. बबन कुमार सिंह पिता स्व० बम बहादुर सिंह फरीक दोसम सा० मौजा औराही प्रगना निशंकपुर कुदा, धाना वो अंवल गम्हरिया सब रीजिस्ट्री कार्यालय वो भी जिला- मधेपुरा- - भारतीय नागरिक.
2. नाम मोकीर अलहः वासुदेहा फरीकैन
3. किस्म दस्तावेज : बँटवारानामा
4. तायदाद मालियत : वसिइल नं० 1 मालियत 5,00,000/= ₹ पाँचलाख रुपये वो भी सिइल नं० 02 मो०-5,00,000/= पाँच लाख रुपये होता है ।
5. सिइल नं०-01 की सराजी मजकूर जो दखल कब्जा में श्री बसंत कुमार सिंह पिता स्व० बमबहादुर सिंह फरीक औपल के रहेगा मवाजी 01 बीघा 17 कठा 07 धूर ₹स्क बीघा सतरह कठा सात धूर कायमी मीन्जुमला फजमा तलाना वो भी माल अलावे शेष वाके मौजा औराही टोला- स्कपरहा वर्तमान अंवल वो धाना- गम्हरिया प्रगना निशंकपुर कुदा सब रीजिस्ट्री वो जिला-मधेपुरा धाना नं०- 6 तौजी नं०- 6175

खाता	खेरा	रकवा
		बी०क०धूर
172	1450	0.2.1
50	1461	0.12.0
50	1461	0.6.0
1	3377	0.14.0
	कुल :	1.14.01
59	328	
75	773	0.8.19
50	1307	
119	765	0.10.15



:2:

14

<u>खाता</u>	<u>खेसरा</u>	<u>रकवा</u> बी०क०धूर
2	1306 1705	0.17.13
71	1533	0.8.0
342	1774	3.14.8
8/265	1302 1770	0.1.5
कुल:-		3.15.15

कुल रकवा में से मीन्हा 1.17.4

॥ एक बीघा सतरह कठा चार धूर ॥

उल्लेखनीय यह भी है कि मकान दो कमरे का जानीव पश्चिम से उक्त सिड्डल नं० 01 के फरीक औवल को मिला है तथा दक्षिण से फुस का दो कमरे का मकान भी मिला है तथा वृक्षों को बाँस में आधा-आधा हिस्सा प्राप्त होगा वो है तथा दखवाला का आधा-आधा उपयोग फरीक औवल को दोस्म करेंगे ।

सिड्डल नं० 2 की शराजी मजकूर जो दखल वो कब्जा में बबन कुमार सिंह पिता स्व० बमबहादुर सिंह फरीक दोस्म के रहेगा ।

मवाजी : 1 बीघा 17 कठा 4 धूर कायमी मीनजुमला कजमा तलाना वो भी माल अलावे शेष वाके मौजा औराही प्रगना निवांकपुर कुदा वर्तमान अंपल वो थाना गम्हीरिया सब रजिस्ट्री कार्यालय वो जिला मधेपुरा अन्दर जमीन्दारी स्टेट बिहार सरकार थाना नं०- 6 तौजी नं०- 6175

<u>खाता</u>	<u>खेसरा</u>	<u>रकवा</u> बी०क०धूर
172	1450	0.2.1
50	1461	0.12.0
50	1461	0.6.0
1	3377	0.14.0
		1.14.1
59	328	0.8.19

खाता	खेसरा	रकवा
50	1307	बी०क०धूर
170	1785	0.10.15
घर		
2	1306	0.17.13
	1705	
71	1533	0.3.0
342	1779	-----

कुल- 3.14.8

कुल रकवा में से निस्फ अर्थात् आधा तथा मिन्हा 1.17.4 पूरब से उल्लेखनीय है कि मकान कुल 2 कमरा एवं दीक्षप से फुल घर उक्त सिडूल नं० 2 के फरीकैन दोस्म को मिला है तथा वृक्षों को बाँस में आधा-आधा हो गया है ।

चूं मीकीरान का हालत यह है कि खानदान इज्माल रहने से चंद किस्म का इंडेंट वड़ा हुआ करता था । चंद पंचान वो भी मीकीरान ने जायदाद मजकूरीन खरीदगी वो भी दीगर खतियानी वो भी मौस्ती को आपसी बँटवारा कर अपने अपने हिस्से के जायदाद पर दखलकार हुए वो घले आते हैं वो भी सबों का रहन सहन पूजा पाठ खान पान चुल्हा घक्की वो भी देही दरवारी कार्य अलग अलग किया करते हैं । पंचान वो भी मीकीरान का यह राय वो मशायिरा तय पाया कि आइन्दे बीघ फरीकैन किसी किस्म का इंडेंट न होवे । इसलिए माँ मीकीरान वखुशा रजाय वो रगवत वो वहालत सेहत जात वो सवात बिला ज़र वो दबाव वो फुसलाव के किसी दूसरों को स्करार करते हैं वो लिख देते हैं कि सिडूल नं० 1 में जायदाद [सम्पति मजकूर] दर्ज है उस पर कब्जा वो दखल फरीक औवल श्री बसंत कुमार के हैं वो रहेगा उससे फरीक दोस्म को कोई इलाका वो सरोकार नहीं होगा । वो सिडूल नं० 2 में दर्ज जायदाद [सम्पति मजकूर] उस पर दखल वो कब्जा श्री बबन कुमार सिंह का होगा वो उससे फरीक औवल वो कोई इलाका वो सरोकार नहीं होगा ।

अब पाहिये कि फरीकैन अपने अपने सिडूल की जायदाद पर काविल वो भी दखलकार होकर पुस्त दर पुस्त भोग तरुफ किया

किया करेंगे वो भी धुताविक सिद्धल के फरीकैन नाम से अपने अपने रसीद रेंट बील हासिल किया करेंगे वो अगर गाहे षगाहे वो जमाने में मोकीरान या वारसान किसी दूसरे फरीकैन के जायदाद पर दावी दरपेश लावेंगे तो नाजायज अदालत के होगा वो भी बेटवारासुदा दस्तावेज वास्ते सबूत जिनमें फरीकैन ने वास्ते प्रमाण उक्त बेटवारानामा तहरीर वो तामिल किया है वो उक्त बेटवारा विलेख को पढ़ वा कर सुन वो समझ लिया वो भी सही पाकर अपना- अपना सही बना दिया जो प्रमाण रहे वो समय पर काम आवे ।

वाजे रहे कि उक्त बेटवारानामा विलेख विल्कुल पाक वो साफ है वो आइन्दे उक्त बेटवारा के निबधत कोई खरखसा उत्पन्न उक्त फरीकैनो में नहीं रहे । इसीलिस यह बेटवारा विलेख तहरीर वो तामिल किया गया है वो है।

गवाहान का हस्ताक्षर/निशान

1. देव शंकर सिंह
2. शांजीशाम सिंह

फरीक औवल ।

असीत कुमार (सं)

10-6-2007

3. शहा मोहन सिंह

फरीक दोस्म

पवन कुमार सिंह

4. मु-भक्ति

बीचवी देवी

5. उपेन्द्र काठ सिंह

10-6-2007

असीत कुमार
अधीनकारी - बीरगढ़ी अदालत
पता - मन्दीरा (2007)

Ammannu

सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी, महोदय
मधेपुरा ।

17

बिषय: ग्राम औराही एकरहा थाना-गम्हीरया के वार्ड नं० 03 में स्थापित मिन्नी प्रथम आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या:79 में, नियमनों एवं प्रावधानों को अनदेखी कर आंगनबाड़ी सेविका के वयन करने की बात जिस अभियार्थी के सम्बन्ध में कहा जाता है उस पर श्रीमान द्वारा तत्काल रोक लगाकर अपने स्तर से जाँच के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र ।

महाशय,

सेवा मे निवेदन इस प्रकार है कि :

मे नीतु सिंह पति स्व० ववन कुमार सिंह साकिन औराही एकरहा वार्ड नं० 03 थाना गम्हीरया जिला मधेपुरा की रहने वाली एक अक्ला विधवा हूँ

मेरे पति जो सिधेखर अवस्थित एक गैस एजेन्सी में दैनिक पराश्रमिक पर कार्य करते थे वो प्रतिदिन साइकिल से घर से आते जाते थे का देहावसान दिनांक (20-8-2011) को सड़क दुर्घटना में हो गया ।

हम पति पत्नी से दो संतान है एक लड़का उम्र 13 वर्ष एवं एक लड़की उम्र 11 वर्ष दोनों की भरण-पोषण की सारी जवादेही मेरे उपर है ।

उक्त दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यु के बाद आपके माननीय सांसद शारद यादव स्वदेना प्रगट करने मेरे गाँव, घर पर ^{31/8/11} बच्चों को देख कर उठ्ट होने

ग्रामिणों के समक्ष ही भीषण्य मे यहाँ पर मिन्नी आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना

भीषण्य मे ^{रकोले} क्रिस जाने की धोषणा किया वो माननीय सांसद शारद यादव जी ने

उस नव स्थापित होने वाले मिन्नी आंगन बाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी सेविका के

स्व में मेरे चयन किए जाने के प्राथमिकता का आश्वासन दिया था ।

माननीय सांसद श्री नारद यादव की उक्त बयान समाचार पत्र में भी आया साथ ही दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यु के बाद जो ग्रामिणाई द्वारा विरोध त्वस्थ जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी स्थानीय प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी सेविठ के चयन में प्राथमिकता को अन्य समुचित सुविधा दिए जाने का आश्वासन दिया गया

॥ समाचार पत्र के समाचार कतरन का छाया प्रति ॥ संलग्न

आज तक कोई सुविधा को आर्थिक मदद प्रशासन की ओर से नहीं मिलने के पश्चात औराही एकरहा वार्ड सं० 03 में मिन्नी आंगनवाड़ी केन्द्र सं० 79 के स्थ में स्थापित हुआ को अन्य लाभार्थी के साथ - साथ में भी चयन हेतु आवेदन दी

आंगनवाड़ी सेविका के लिए जो निर्धारित योग्यता को मापदंड है उसमें

मेरे द्वारा धारित ^{जात्रा} प्रकृतता निम्न प्रकार है :

10. मैं परीसीमन के अन्तर्गत आती हूँ परीसमन की जो सूचि प्रकाशित है

उसमें मेरा क्रम संख्या -111 है

11. मेधा सूचि जो कार्यालय वाल विकास परियोजना गम्हीरिया ॥ मधेपुरा ॥

आंगनवाड़ी सेविका का चयन हेतु जो मेधा सूचि तैयार किया गया उसमें ^{सुल} क्रम 06

अभ्यार्थी में सबसे अधिक अंक 67-28/मुझे प्राप्त है ।

111. वार्ड संख्या 03 एवं 02 के ग्रामिणाई द्वारा आम सभा कर हस्ताक्षर युक्त निवेदन मेरे चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेकर दिया गया ।

(अरु लोटे कागजात की संख्या 211-
11/केत नर री है)

मेरे पति अपने जीवन काल में ही एक मात्र बड़े भाई जो अनुकम्पा पर शिक्षक के रूप में नियुक्त है से अलग रहते रहे है बहुत वर्षों तक मौखिक रूप से अलग रहते हुए वर्ष 2007 में लिखित रूप से आपसी सहमति का वट्वारानामा गवाहों के समक्ष तामिल किया जिस पर तत्कालिन सरपंच भी साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किए ।

श्रुति दिनांक 20.12.14 को वार्ड नं० 03 के पंच श्री नीरज कुमार की अध्यक्षता में आम सभा हुई जो पूर्ण नहीं हुआ बीच में ग्रामिणों द्वारा हो हल्ल करने से स्थगित हो गया ।

वाद में अधिकृत चयन कर्त्ताओं जिसमें सी० डी० पी० ओ० भी उपस्थित थी द्वारा मुझे कहा गया कि आपका चयन नहीं होगा जिसका विरोध वहाँ उपस्थित ग्रामिणों ने भी किया वो बिना आगे की कोई कार्यवाही किए हुए सी० डी० पी० ओ० एवं उनके साथ आए अन्य सरकारी कर्मचारी चले गए ।

सी० डी० पी० ओ० साहिवा द्वारा कहा गया कि आपने भेसुर शिक्षक है इसलिए आपका चयन नहीं होगा, मेरे द्वारा यह कहने पर कि मेरे पति अपने जीवन काल से ही भाई से अलग रहते रहे है वट्वारा का कागजात भी दिखलाया जिसे मा से इंकार कर दिया वो मुझसे मेधा सूचि में कम अंक प्राप्त करने वाली काजल देवी का सारे नियमों को प्रावधानों को नजर अंदाज कर चयन की प्रक्रिया उक्त काजल देवी के पक्ष में करने की बात मौखिक रूप से अधिकृत चयन कर्त्ता अपनी ओर मोला करते है, वो उक्त काजल देवी को उनके परिवार के सदस्य कहते है कि काम करा लिया है।

अतः उपरोक्त सन्दर्भ में मैं अवला जिसके उपर दो नवालिंग लड़का एवं लड़की के भरण-पोषण का दायित्व है, तथा उक्त मिन्नी अंगनवाड़ी केन्द्र 79 औराही एकपरहा थाना गम्हरिया के लिए जो चयन की मैधा में प्रथम स्थान, सबसे अधिक अंक प्रतिशत 67-28% पाकर हूँ। इसके बावजूद मात्र चयन कर्ता द्वारा यह कह कर कि आपके मैसुर शिक्षक है मेरे द्वारा धारित सारे पात्रता व योग्यता के बावजूद मुझे चयन की प्रक्रिया से अस्वीकृत करना चाहते है ऐसे में मात्र श्रीमान से ही इंसाफ मिलने का आशा है अतः अपने स्तर से इस सम्बन्ध में जांच करा कर इंसाफ देने का कृपा की जाय इस हेतु मैं अवला विधवा अपने दोनो नवालिंग बच्चों सह सदा विनीत रहूंगी।

प्रार्थी नितु सिंह

24/12/2014

नितु सिंह पति स्व० ववन सिंह

सा० औराही एकपरहा थाना गम्हरिया
जिला- मधेपुरा ।

1. मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत
दिनांक 25.08.2011
2. नाम से स्व० ववन कुमार सिंह पुष्ट-01
मेधा सुचित -----01
3. समाचार पत्र के कतरण ----- 01
4. परीसीमन क्रमांक सुचि -----03
5. ग्रामिण द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन 06
6. आपसी बटवारा वर्ष 2007 ---- 07